लघु सविचालय परिसर, नारायणगढ में स्थित कैंटीन मार्फत जिला रैडक्रास शाखा, अम्बाला

निविदा सूचना

जिला रैडक्रास सोसाईटी, अम्बाला द्वारा लघु सचिवालय, नारायणगढ़ के प्रागंण में निर्मित कैंटीन को मासिक किराए पर दो वर्ष के लिये ठेके पर दिये जाने बारे सीलबंद निविदाऐं आमंत्रित है, जिसके लिये निविदा फार्म कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। निविदा फार्म पूर्ण रूप से भरते हुये दिनांक 12-07-2017 को दोपहर 1.00 बजे तक कार्यालय में जमा करवाया जा सकता है, जो कि दिनांक 12-07-2017 को सांय 3.00 बजे कार्यालय उपमण्डल अधिकारी (ना0), नारायणगढ़ के कार्यालय में खोली जायेंगी। निविदा में शामिल होने के लिये सम्बन्धित पार्टी/व्यक्ति को मु0 25,000/- रु0 की राशि का ड्राफट जो कि "District Red Cross Society, Ambala" के पक्ष में हो या नगद जिला रैडकास सोसाईटी, अम्बाला में जमा करवाना होगा। निविदा की अन्य नियम व शर्ते कार्यालय जिला रैडकास सोसाईटी, अम्बाला के नोटिस बोर्ड व जिला प्रशसन की वैबसाईट www.ambala.gov.in पर भी देखी जा सकती है।

सचिव,
जिला रैडकास सोसाईटी,
अम्बाला।
दूरभाष: 0171-2530556

लघु सचिवालय, नारायणगढ के प्रांगण में स्थित कैंटीन मार्फत जिला रैडक्रास सोसाईटी, शाखा, अम्बाला की निविदा वा चलाने हेतु नियम वा शर्ते

1. कैंटीन बूथ ठेका अवधि शुरू में दो वर्ष के लिये होगी, जो कि कार्य संतोषजनक पाये जाने पर मासिक किराये में न्यूनतम 10 प्रतिशत वृद्धि करते हुये आगामी एक वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है।
2. उक्त निविदा में हिस्सा लेने हेतु निविदा फार्म कार्यालय से कार्यालय दिवस अनुसार मुबलिग 100/- रूपये के भुगतान पर प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें दो कॉलम होंगे, जिसके ठेकेदार के पहचान पत्र व अन्य दस्तावेजों का विवरण होगा और दूसरे हिस्से में उसके द्वारा दिया गया मासिक/वार्षिक रेट होगा।
3. यह कि निविदा में हिस्सा लेने के लिये निविदाता/ठेकेदार को निविदा फार्म पूर्ण रूप से भरते हुये पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट साईज फोटो, पिछले छः माह की बैंक स्टेटमैंट व पिछले दो साल की आयकर रिटर्न की सत्यापित प्रतियां साथ लगानी होगी, कागजों में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर निविदा फार्म को निरस्त किया जा सकता है।
4. यह कि निविदा में हिस्सा लेने के लिये निविदाता/ठेकेदार के पास कम से कम एक वर्ष उक्त कार्य करने का अनुभव होना चाहिये, जिसकी सत्यापित प्रति निविदा फार्म के साथ कार्यालय में जमा करवायेगा। अनुभव प्रमाण पत्र के बिना निविदा फार्म को निरस्त करने का अधिकारी कमेटी के पास होगा।
5. निविदा फार्म को सीलबंद लिफाफे में उसके उपर "Application/Tender for Canteen for Mini Sectt., S.D.O. (C), Naraingarh" अंकित करते हुये जमा करवाया जाना अनिवार्य होगा।
6. यह कि निविदा में हिस्सा लेने के लिये पूर्व अग्रिम जमानत राशि में मु0 25,000/- रु0 की राशि का डिमांड ड्राफट जिला रैडक्रास सोसाईटी, अम्बाला के नाम या नगद जमा करवाना होगा।
7. निविदा हेतु न्यूनतम रिजर्व मासिक किराया 10,000/- रूपये रखा गया है।
8. कैन्टीन भवन/ बूथ पर जिला रैडक्रास सोसाईटी, अम्बाला प्रथम पक्ष से सम्बन्धित का नाम लिखा होगा।
9. कैंटीन प्रातः 8.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक के लिये खुली रहेगी।
10. यह कि निविदा राशि को स्वीकार करने का अधिकार उपायुक्त, अम्बाला को होगा।
11. यह कि सबसे अधिक बोली देने वाले निविदाता को आगामी तीन महीने का एंडवास किराया निविदा खुलने के बाद तीन दिन के अन्दर-2 कार्यालय जिला रैडक्रास सोसाईटी, अम्बाला में जमा करवाना होगा, जो कि बतौर सिक्योरिटी कार्यालय में जमा रहेगा और ठेका के अन्तिम महीनों में एकजस्ट किया जायेगा।
12. यह कि सबसे अधिक निविदा राशि देने वाला निविदाता यदि तीन दिन के अन्दर-/ तीन महीने का एंडवास किराया जमा ना करवाने की सूरत में अग्रिम राशि मुबलिग 25,000/- रूपये जब्त करते हुये द्वितिय निविदाता (दूसरे नम्बर पर आने वाली निविदा) को कार्य अलाट कर दिया जायेगा।
13. यह कि सबसे अधिक निविदा देने वाले निविदाता/ठेकेदार को कार्यालय से स्वीकृति पत्र मिलने के 7 दिन के अन्दर-अन्दर कार्य शुरु करना होगा और निर्धारित समय में कार्य शुरू न करने पर भी मासिक किराया स्वंत आरंभ हो जायेगा।
14. यह कि निविदाता द्वारा 10 तारीख तक मासिक किराया कार्यालय में जमा नहीं करवाता है तो राशि पर लेट फीस के रुप में पहले महीने तक 12 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज लगेगा तथा यदि वह एक महीने के बाद भी राशि जमा नही करता तो उपायुक्त अम्बाला को कैंटीन का ठेका/लाईसैंस रद्द करने का अधिकार होगा तथा निविदाता/ठेकेदार द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि भी जब्त कर ली जाएगी।
15. कैन्टीन भवन/बूथ अच्छी स्थिति में निर्धारित अवधि बाद यानि दो वर्ष बाद खाली करनी होगी तथा जिसका कब्जा स्वतः ही प्रथम पक्ष जिला रैडक्रास शाखा अम्बाला के नाम होगा।
16. बिजली का कनैक्शन, पानी का कनैक्शन ईन्धन गैस का कनैक्शन जिला रैडक्रास सोसाईटी, अम्बाला के नाम होगा तथा इन कनैक्शनो पर जो राशि खर्च होगी उसकी अदायगी ठेकेदार स्वयं वहन करेगें तथा अवधि समाप्त होने उपरान्त यह कनैक्शन No Due Certificate के साथ कार्यालय जो कि प्रथम पक्ष से सम्बन्धित है, में जमा करवाने होगें।

17. यह कि निविदाता को प्रत्येक दो महीने के बाद जमा करवाये गये बिजली/पानी आदि के बिलों की रसीदों की फोटोप्रतियां स्वंय सत्यापित करते हुये कार्यालय में जमा करवानी अनिवार्य होंगी।
18. यह कि कैन्टीन चलाने हेतु स्वास्थय विभाग या किसी अन्य विभाग से फुड लाईसैन्स/सेल टैक्स संख्या की आवश्यकता होगी तो वह निविदाता/ठेकेदार द्वारा सम्बन्धित विभाग से अपने खर्च पर लेना होगा।
19. कैन्टीन की सेवाएं आम जनता के लिए उपलब्ध करनी होगी।
20. यह कि कैंटीन के स्थान को बदलने का अधिकार उपायुक्त, अम्बाला का होगा।
21. कैन्टीन/बूथ में अच्छी गुणवता की खाद्य सामग्री व अन्य सामान की बिक्री की अनुमति होगी।
22. चाय, काफी, दूध के अतिरिक्त कोई भी खाद्य पदार्थ कैंटीन में नही बनाया जायेगा। बने हुये सामान की ही बिक्री होगी।
23. बिक्री की जाने वाली वस्तुओं की दरें बाजार दरों से अधिक नही होगी व दरों का प्रदर्शन कैन्टीन से बाहर अंकित करना होगा।
24. यह कि यदि निविदाता/ठेकेदार निर्धारित रेट से अधिक राशि वसूल करता पाया गया तो उससे प्रथम बारे 500/- रूपये, द्वितिय बार 1000/- रूपये, तृतीय बार 2000/- रूपये जुर्माना राशि वसूल की जायेगी और उसके बाद नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुये ठेका रदद् किया जा सकता है, जिस बारे माननीय उपायुक्त, अम्बाला का निर्णय अंतिम होगा, इसके विरूद्व ठेकेदार कोर्ट में नही जा सकता।
25. कैन्टीन तथा इसके आसपास साफ सफाई की समुचित व्यवस्था करनी होगी।
26. यह कि कैंटीन से सम्बन्धित सिविल व अन्य मामलों का उत्तरदायित्व निविदाता/ठेकेदार का होगा।
27. यदि किसी अवस्था में यह पाया जाता है कि कैन्टीन में बेची जाने वाली वस्तुएं अच्छी गुणवता की नही है तथा इन खाद्य वस्तुओं से उपयोग होने वालों के स्वास्थय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है तो कैन्टीन ठेका अवधि तुरन्त प्रभाव से रद्द कर दी जाएगी तथा निविदाता/ठेकेदार के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जाएगी।
28. यह कि सम्बन्धित निविदाता/ठेकेदार यदि निर्धारित अवधि से पहले ठेका छोड़ता है, तो उसकी अग्रिम जमानत राशि (मु0 25000/- रूपये व तीन महीने का एंडवास किराया) जब्त कर लिया जायेगा।
29. कैन्टीन भवन में जिला प्रशासन अम्बाला वा जिला रैडकास शाखा अम्बाला के प्रतिनिधि किसी भी समय बिना सूचित किए निरीक्षण करने हेतु प्रवेश के हकदार होंगे।
30. कैंटीन के कर्मचारी बावर्दी होंगे, जिसके उपर नेम प्लेट लगी होगी।
31. Constructed structure के आगे किसी भी प्रकार का सामान रखने की अनुमति नहीं होगी।
32. यह कि उपायुक्त, अम्बाला को किसी भी समय अन्य अन्य शर्त जोड़ने या बदलने का पूर्ण अधिकार होगा।
33. यह कि उपायुक्त, अम्बाला को ठेका/निविदा की अवधि बिना कोई कारण बताये व बिना किसी पूर्ण सूचना के किसी भी समय रद्द करने का अधिकार होगा।
34. यदि कभी ऐसा पाया गया कि निविदाता/ठेकेदार उपरोक्त शर्तों व नियमों की अवहेलना कर रहे है तथा इनका व्यवहार ग्राहको के साथ ठीक नहीं है तो उपायुक्त एवं प्रधान जिला रैडक्रास शाखा अम्बाला को बिना किसी सूचना के कैंटीन बूथ अवधि को तुरन्त रद्द करने का अधिकार होगा।
35. यह कि यदि ठेकेदार उक्त कार्य को निर्धारित अवधि से पूर्व छोड़ता है, तो उसे Black List करने का अधिकार जिला रैडकास सोसाईटी, अम्बाला के पास होगा।
36. यह कि यदि किसी प्रकार का कोई झगड़ा या झगड़े जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, तो ऐसी स्थिति/झगड़े को सुलझाने में प्रथम अपीलीय अधिकारी उपमण्डल अधिकारी (ना0), अम्बाला शहर होंगे तथा अंतिम व द्वितिय अपीलीय अधिकारी उपायुक्त, अम्बाला होगें तथा उनका निर्णय अन्तिम होगा तथा दोनों पक्षों को स्वीकारय होगा। इस अधिकार के तहत उपायुक्त अम्बाला को कैंटीन बूथ से सम्बन्धित नियम व शर्तो में बदलाव व अन्य शर्ते जोड़ने का एकाधिकार होगा तथा किसी भी पक्ष को उपायुक्त अम्बाला के एकाधिकार को चुनौती देने का अधिकार नही होगा।